प्रेस विज्ञप्ति

16.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 13.03.2026 को किशन मोदी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19(1) के तहत मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेजीएफपीपीएल) और अन्य से संबंधित धन शोधन की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। उन्हें 14.03.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष हाजिर किया गया और माननीय न्यायालय ने पीएमएलए के तहत आगे की जांच के लिए 18/03/2026 तक ईडी हिरासत में भेज दिया।

यह गिरफ्तारी भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ भोपाल के हबीबगंज पुलिस स्टेशन में दिनांक 29.08.2023 को दर्ज एफआईआर संख्या 0492/2023 और भोपाल के ईओडब्ल्यू द्वारा दिनांक 22.07.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 0027 के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई है।

पीएमएलए, 2002 के तहत की गई जांच में पता चला कि 'मिल्क मैजिक' ब्रांड नाम से डेयरी उत्पादों की आपूर्ति करने वाली कंपनी जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दूध की वसा को ताड़ के तेल और अन्य हानिकारक रसायनों से बदलकर मिलावटी डेयरी उत्पादों का निर्माण करने में शामिल थी। इन उत्पादों की आपूर्ति न केवल घरेलू बाजार में की जाती थी, बल्कि इन्हें विभिन्न देशों में निर्यात भी किया जाता था। ऐसे निर्यात को सुगम बनाने के लिए, निर्यात मंजूरी प्राप्त करने हेतु इंदौर स्थित निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) के समक्ष प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं की जाली परीक्षण रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं। हालांकि, संबंधित प्रयोगशालाओं से सत्यापन करने पर पता चला कि ऐसी कई रिपोर्टें जाली थीं और उनके द्वारा जारी नहीं की गई थीं। आगे की जांच से पता चला कि इन जाली प्रयोगशाला रिपोर्टों के आधार पर, मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने मिलावटी डेयरी उत्पादों का निर्यात किया और एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में खोले गए अपने बैंक खातों में निर्यात आय प्राप्त की। जांच में पता चला कि जाली प्रयोगशाला रिपोर्टों के आधार पर किए गए निर्यात से लगभग 20.59 करोड़ रुपये की निर्यात आय अर्जित की गई थी, जिसे पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अपराध की आय के रूप में पहचाना गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।